

Email

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-19/2011

174

खाद्य,पटना/दिनांक-11/11/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0/ अन्नपूर्णा/
अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न
दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

विशेषतः उपरोक्त विभाग को संबंधित करने हेतु विभाग के
संज्ञान में ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा
दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0/अन्नपूर्णा/अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित मात्रा
से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है और इसके मूल्य निर्धारित मूल्य से
अधिक लिया जाता है । यह पी0आई0एल0- 196/2001 में परिशिष्ट गणनीय
उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है । अतः इसका उल्लंघन
करते वाले जन वितरण दुकानदारों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाय
तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर
निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो ।

दिये जाय

सरकार के संयुक्त सचिव ।